

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित नियम बनाये गये

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: –

(1) इन नियमों का नाम 'राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम-2005' है ।

(2) ये राज-पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं: –

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "अधिनियम" से "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" (2005 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) अभिप्रेत है

(ख) "आयोग" से "राजस्थान सूचना आयोग" अभिप्रेत है ।

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) इसमें प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किया गया है ।

3. आवेदन फीस:— धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के किसी अनुरोध के साथ, समुचित रसीद के पेटे नकद के रूप में या लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट, आईपीओ. या बैंकर्स चैक के रूप में दस रुपये की आवेदन फीस दी जायेगी ।

4. सूचना देने के लिए फीस:—

(1) धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन सूचना देने के लिए समुचित रसीद के पेटे नकद के रूप में या लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर या बैंकर्स चैक के रूप में दस रुपये की आवेदन फीस निम्नलिखित दरों से प्रभारित की जायेगी –

(क) बनाये गये या नकल किये गये प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के कागज में) के लिए दो रुपये

(ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत ।

(ग) सैम्पल या मॉडल के लिए वास्तविक लागत कीमत और

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, प्रथम घण्टे के लिए कोई फीस नहीं, और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट या उसके भाग के लिए पांच रुपये की फीस ।

(2) धारा 7 की उप-धारा(5) के अधीन सूचना देने के लिए समुचित रसीद के पेटे नकद के रूप में या लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट, आईपीओ. या बैंकर्स चैक के रूप में दस रुपये की आवेदन फीस निम्नलिखित दरों से प्रभारित की जायेगी –

(क) डिस्क या फ्लॉपी में दी गयी सूचना के लिए प्रति डिस्क या फ्लॉपी पचास रुपये और

(ख) मुद्रित रूप में दी गयी सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या प्रकाशन से उद्धरणों की फोटोप्रति के प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपये ।

5. अपील की अर्न्तवस्तु:— आयोग को की जाने वाली अपील में निम्नलिखित सूचना अर्न्तर्विष्ट होगी, अर्थात्

(1) अपीलार्थी का नाम और पता

- (2) राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता
 - (3) संख्यांक और दिनांक सहित आदेश की विशिष्टियां जिसके विरुद्ध अपील की गयी है।
 - (4) अपील किये जाने के संक्षिप्त तथ्य
 - (5) प्रार्थना या अनुतोष के आधार
 - (6) अधिनियम या नियमों के उपबंध
 - (7) प्रार्थना या चाहा गया अनुतोष
 - (8) अपीलार्थी द्वारा सत्यापन, और
 - (9) कोई भी अन्य सूचना जो आयोग अपील को विनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें।
6. अपील के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज:— आयोग को की जाने वाली प्रत्येक अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे, अर्थात् –
- (1) उस आदेश की अनुप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है।
 - (2) अपीलार्थी द्वारा अविलम्ब लिये गये और अपील में निर्देशित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां, और
 - (3) अपील में निर्दिष्ट किये गये दस्तावेजों की अनुक्रमणिका
7. अपील विनिश्चित करने की प्रक्रिया:— अपील विनिश्चित करते समय आयोग –
- (1) सम्बन्धित या हितबद्ध व्यक्ति से शपथ पर या शपथ-पत्र पर मौखिक और लिखित साक्ष्य पर विचार करेगा।
 - (2) दस्तावेजों, लोक अभिलेख या उनकी प्रतिलिपियों का परिशीलन या निरीक्षण करेगा।
 - (3) प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से और ब्यौरों या तथ्यों की जांच करेगा।
 - (4) राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति, ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को सुनेगा जिसने प्रथम अपील को विनिश्चित किया है।
 - (5) अन्य व्यक्ति को सुनेगा, और
 - (6) राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी, ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जिसने प्रथम अपील का विनिश्चय किया है या अन्य व्यक्ति से शपथ-पत्र पर साक्ष्य अभिप्राप्त करेगा।
8. आयोग द्वारा नोटिस की तामील:— आयोग द्वारा नोटिस निम्नलिखित में से किसी भी रीति से तामील किया जा सकेगा, अर्थात् –
- (1) पक्षकार द्वारा स्वयं तामील करके
 - (2) आदेशिका तामीलकर्ता के जरिए दस्ती परिदान करके
 - (3) रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा
9. आदेश का हस्ताक्षरित किया जाना:— खुली कार्यवाहियों में सुनाया गया आयोग का आदेश लिखित में होगा और रजिस्ट्रार या इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा।
- प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग जयपुर ने अपने आदेश क्रमांक प. 21(8)शिक्षा-2/2005 जयपुर दिनांक 31.05.2008 से अतिरिक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर को प्रथम अपील अधिकारी बनाया गया है। जिसकी पालना में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), प्राशि, बीकानेर को रा.लो.सू.अ. बनाया गया है।

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने आदेश क्रमांक शिविरा/प्रारं/सूअ/13705/09/ आदेश दिनांक 18.06.09 से निदेशालय स्तर, मण्डल स्तर, जिला स्तर तथा ब्लॉक स्तर पर सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गई सूचनाओं को उपलब्ध करवाये जाने हेतु निम्नानुसार मनोनयन किया गया है:-

क सूचना अधिकारी	अपील अधिकारी
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा (सम्बन्धित मण्डल के लिए)	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान बीकानेर	अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (सम्बन्धित जिले के लिए)	उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा (सम्बन्धित मण्डल के लिए)
प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट्स) (सम्बन्धित जिले के लिए)	निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (सम्बन्धित ब्लॉक के लिए)	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (सम्बन्धित जिले के लिए)

नोट:- प्रथम अपील उपरोक्तानुसार विभाग में तथा द्वितीय अपील राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर, में की जा सकती है ।
(अधिकृत ई-मेल आई डी-rtiele2015@gmail.com)